FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थी:- बनाम अप्रार्थी:-

सुमेराराम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

अन्तर्गत धारा 114 सीपीसी (रिव्यू प्रार्थना पत्र) वाद संख्याः - 108 /2025

जीसीएमएस नंबर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
8/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। तहसीलदार जोधपुर को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 31/10/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
31/10/2025	~~पत्रावली~~ पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 CPC का स्वीकार कर पूर्व आदेश दिनांक LR/2025/241 दिनांक 14/08/25 निरस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 108/2025
जीसीएमएस नंबर :– 2025/301

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थी

सुमेरा राम वगै. — राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

भू–राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) के आदेश क्रमांक एल.आर./2025/24 दिनांक 14.06.2024 के आधार पर एकीकरण नामा. आदेश दिनांक 20.08.2024 तहसीलदार जोधपुर द्वारा द्वारा राजस्व अभियान में स्वीकृत नामा. सं. 852/20.08.2024 के क्रम संख्या 182 में वर्णित अप्रार्थी सं. 2 से 5 का नाम विलोपित कर शुद्धिकरण करने एवं एकीकृत नामा. आदेश को निरस्त करने बाबत।

–::आदेश::–

दिनांकः– 8/10/2025

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैः– गांव जोलियाली तहसील व जिला जोधपुर के खेत खसरा सं.402/85, रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा, किस्म बारानी व खेत खसरा सं. 85/14 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी, कुल किता 2 रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा, किस्म बारानी।, जो पैतृक कृषि भूमि है तथा जोगाराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक उतराधिकारीगण प्रार्थीगण के नाम सें सहखातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। जोगारामजी ने अपने जीवनकाल में ही अपने चारों पुत्रों के पक्ष में मौखिक बंटवारा कर उनके हिस्से अनुसार जायदाद कब्जा करवाकर कब्जाकाश्त हेतु दे दी। हाल ही में तहसीलदार जोधपुर द्वारा एकीकरण नामान्तरकरण संख्या 852 दिनांक 20.08.2024 को स्वीकृत किया गया उक्त एकीकरण नामान्तरकरण में कम संख्या 182 में रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 2 से 5 का इन्द्राज बिना कोई वैधानिक कारण एवं बिना प्रार्थीगण की अनुमति के रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 2 से 5 के नाम का इन्द्राज किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 30.05.2025 को जमाबंदी की प्रतिलिपि प्राप्त करने से हुई जिस पर प्रार्थीगण तहसीलदार से सम्पर्क कर नामान्तरकरण में हुई त्रुटि/गलती से अवगत कराने पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जोधपुर द्वारा कहा गया कि भूलवशः अन्य व्यक्तियों के नाम आपकी खातेदारी की कृषि भूमि में बतौर सहखातेदार के रूप अंकन कर दिया गया है जो एक टंकण त्रुटि है जो न्यायालय द्वारा ही दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

किये गये एकीकरण नामान्तरणकरण आदेश दिनांक 20.08.2024 तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व अभियान में पारित आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 852/20.08.2024, के कम संख्या 182 के क्रम में राजस्व कर्मचारियों द्वारा एकीकरण नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय विधि एवं कानूनी भूल की जाकर अन्य व्यक्तियों के नाम भी अपीलांट की खातेदारी भूमि में दर्ज कर दिये गये जो राजस्व कर्मचारी व अधिकारी की लापरवाही के कारण हुई। प्रार्थीगण सहखातेदार की पुश्तैनी जायदाद खेत खसरा संख्या 85/14 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 402/85 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा के खातेदारी जोगा पुत्र जवरा नाई के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है तथा जोगाराम का स्वर्गवास सन् 1984 में हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसान् प्रार्थीगण भगाराम, गजाराम, सुमेराराम व श्रीमती गवरी देवी के नाम फौतेदगी नामन्तरण तस्दीक हुआ, तब से प्रार्थीगण बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे है परन्तु हलका पटवारी जोलियाली द्वारा गांव जोलियाली का एकीकरण नामान्तरणकरण आदेश दिनांक 20.08.2024 तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व अभियान में पारित आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 852/20.08.2024, के क्रम संख्या 182 में अन्य व्यक्तियों का नाम इन्द्राज करने की जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय के समक्ष कई बार शुद्धीकरण का निवेदन किया कि ऑनलाईन नामान्तरण चढ़ाते समय भूलवशः अन्य व्यक्तियों के नाम का इन्द्राज कर दिया गया है परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई भूल व त्रुटि दूर न करने पर एकीकरण नामान्तरणकरण आदेश दिनांक 20.08.2024 तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व अभियान में पारित आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 852/20.08.2024, के क्रम संख्या 182 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमाई जाकर श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) के आदेश क्रमांक एलआर/2025/24 दिनांक 14.6.2024 के आधार पर एकीकरण नामान्तरणकरण आदेश दिनांक 20.08.2024 तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व अभियान में पारित आदेशानुसार स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 852/20.08.2024 के कम संख्या 182 को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए सम्पूर्ण एकीकृत नामान्तरणकरण आदेश को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार जोधपुर से तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट ली गई। दिनांक 15.09.2025 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा भू.अ. निरीक्षक केरू एवं पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट पेश की गई।

प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं नामा. सं. 852 दिनांक 20.08.2024 का गहन परीक्षण किया गया। पत्रावली एवं उस पर

अधिकारी

उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि भूमि जो स्व. जोगाराम के नाम दर्ज थी। स्व. जोगाराम के निधन के उपरांत उनके विधिक उत्तराधिकारी केवल प्रार्थीगण ही है। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एक खसरा एकीकरण आदेश आदेश क्रमांक 24 दिनांक 14.06.2024 में ही त्रुटिवश गवरी पत्नी जोगाराम सुमेरराम गजाराम भगाराम पुत्र जोगाराम 1/2 कम्मादेवी पत्नी हड़मानराम भोमाराम दिनेश कुमार पुत्र हड़मानराम 3/8 पप्पूदेवी पत्नी गोपालराम 1/8 जति नाई सा. देह खातेदार दर्ज हुआ एवं इसी अनुसार नामा. स.852 दिनांक 20.08.2024 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण पारित करते समय प्रार्थीगण को नोटिस या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं बिना किसी आधार के पारित किया गया है। आदेश में जिन अन्य व्यक्तियों के नाम (कम्मादेवी पत्नी हड़मानराम, भोमाराम, दिनेश कुमार पुत्र हड़मानराम 3/8 पप्पूदेवी पत्नी गोपालराम 1/8 जाति नाई सा. देह खातेदार) दर्ज किए गए है इसमें स्पष्ट त्रुटि पाई जाती है।

धारा 114 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के अंतर्गत जब आदेश में स्पष्ट त्रुटि हो अथवा न्यायहित में आवश्यक हो, तो न्यायालय पूर्व आदेश की समीक्षा कर सकता है।

अतः प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाकर न्यायालय के पूर्व आदेश राज./24 दिनांक 14.06.2024 को निरस्त किया जाता है एवं आदेश से पूर्व की स्थित बहाल किए जाने हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है।

चूंकि पूर्व आदेश राज/24 दिनांक 14.06.2024 में रिव्यु का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है इसलिए तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि पूर्व पारित आदेश क्रमांक राज./24 दिनांक 14.06.2024 की पालना में पारित नामा. सं. 852 दिनांक 20.08.2024 निरस्त करते हुए एकीकरण आदेश से पूर्व की स्थिति अनुसार पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें।

(प्रीतम कुमार)IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 3/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर